निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 27 पटना, बुधवार, 12 आषाढ़ 1935 (श0)
3 जुलाई 2013 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	**2-17**
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	**18-19**
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	---
पूरक	---
पूरक-क	**20-32**

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

17 जून 2013

एस0ओ0 287, दिनांक 3 जुलाई 2013—नोटरीज अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा-10 की उप-धारा (बी0) एवं (एफ0) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल श्री **शम्भुनाथ तिवारी, अधिवक्ता-सह-नोटरी, बेतिया, प0 चम्पारण** जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0 **13102** दिनांक **17.11.1984** द्वारा की गयी थी, के नोटरी अनुज्ञप्ति को आदेश निर्गत की तिथि से निरस्त करते हुए, नोटरीज अधिनियम, 1952 की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित पंजी से इनका नाम हटाने का आदेश देते है तथा विशेष परिस्थिति में अभी तक इनके द्वारा किये गए कार्यो को नियमित करते है।

(सं0सं0 ए0/ए0बी0-22/84/4447/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

17 जून 2013

एस0ओ0 288, एस0ओ0 287, दिनांक 3 जुलाई 2013 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0 ए0/ए0बी0-22/84/4447/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

The 17th June 2013

S.O. 287, dated 3rd July 2013—In exercise of the powers conferred under sub-section (b) and (f) of section of the Notaries Act 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to repeal the notary license with effect from date of issue of the order and to remove the name of Sri Shambhu Nath Tiwary notary West Champaran who was appointed as notary under Law Department notification memo no.-13102 dt 17.11.1984 from the register maintained for notaries under section-4 of the Notaries Act 1952 and in special circumstances regularise the acts done by him uptill now.

(File No. A/AB-22/84/4447/J)
By Order of the Governor of Bihar,
VINOD KUMAR SINHA, ***Secretary*.**

17 जून 2013

एस0ओ0 289, दिनांक 3 जुलाई 2013—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53, 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल श्री उमा शंकर शर्मा, नोटरी गया का नाम जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0 1595/जे0 दिनांक 17.03.81 द्वारा की गयी थी, लेख्य प्रमाणक अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।

(सं0सं0 ए0/ए0बी0-109/81/4457/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

17 जून 2013

एस0ओ0 290, एस0ओ0 289, दिनांक 3 जुलाई 2013 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0 ए0/ए0बी0-109/81/4457/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

The 17th June 2013

S.O. 289, dated 3rd July 2013—In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Uma Shankar Sharma Notary Public, Gaya whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no.1595/J dated 17.03.81 from the register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/A.B-109/81/4457/J)
By Order of the Governor of Bihar,
VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

---

17 जून 2013

एस0ओ0 291, दिनांक 3 जुलाई 2013—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53, 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल श्री सुखनन्दन सिंह, अधिवकता, नोटरी डुमराव अनुमंडल, बक्सर का नाम जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0 1597/जे0 दिनांक 07.04.97 द्वारा की गयी थी, लेख्य प्रमाणक अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।

(सं0सं0 ए0/नोट-68/94/4458/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

17 जून 2013

एस0ओ0 292, एस0ओ0 291, दिनांक 3 जुलाई 2013 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0 ए0/नोट-68/94/4458/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

The 17th June 2013

S.O. 291, dated 3rd July 2013—In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Sukh Nandan Singh Notary Public, Dumrao, Buxar whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no.1597/J dated 04.07.1997 from the register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/Not-68/94/4458/J)
By Order of the Governor of Bihar,
VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

---

17 जून 2013

एस0ओ0 293, दिनांक 3 जुलाई 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-1489/जे0, दिनांक 24.02.82 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री राम विलास राय, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 24.02.2013 से से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते है।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय एवं व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अर्हत्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री राम विलास राय	अधिवक्ता, नोटरी, सिविल कोर्ट, समस्तीपुर	24.02.82	बी0ए0 बी0एल0	समस्तीपुर जिला	

(सं0 सं0 ए0/ए0बी0-137/81/4459/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

17 जून 2013

एस0ओ0 294, एस0ओ0 293, दिनांक 3 जुलाई 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0 ए0/ए0बी0-137/81/4459/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

The 17th June 2013

S.O. 293, dated 3rd July 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ram Vilash Ray and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 1489/J dated 24.02.82 to practice as notary again for the next five years from 24.02.2013.

Name of Notary	Residental/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Ram Vilash Ray	Advocate, Notary Civil Court Samastipur	24.02.82	B.A B.L	Samastipur District	

(File no. A/AB-137/81/4459/J)
By Order of the Governor of Bihar,
VINOD KUMAR SINHA, *Secretary.*

---

17 जून 2013

एस0ओ0 295, दिनांक 3 जुलाई 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3480/जे0, दिनांक 24.10.02 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री अविनाश चन्द्र वर्मा, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 24.10.12 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय एवं व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अर्हत्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभयुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री अविनाश चन्द्र वर्मा	अधिवक्ता, नोटरी, माधोबिहारी लेन, सलेमपुर छपरा	24.10.02	बी0एस0सी0 एल0एल0बी0	सारण जिला	

(सं0 सं0 ए0/नोट-60/2000/4460/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

17 जून 2013

एस0ओ0 296, एस0ओ0 295, दिनांक 3 जुलाई 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0 ए0/नोट-60/2000/4460/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

The 17th June 2013

S.O. 295 dated 3rd July 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Avinash Chandra Verma and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 3480/J dated 24.10.02 to practice as notary again for the next five years from 24.10.12.

Name of Notary	Residental/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Avinash Chandra Verma	Advocate, Notary, Madho Bihari Lane, Salempur Chapra	24.10.02	B.Sc L.L.B	Saran District	

(File no.-A/Not-60/2000/4460/J)
By Order of the Governor of Bihar,
VINOD KUMAR SINHA, *Secretary.*

---

17 जून 2013

एस0ओ0 297, दिनांक 3 जुलाई 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3220/जे0, दिनांक 19.06.93 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री अजय कुमार पंडित, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक दिनांक 19.06.2002 से 18.06. 2007 तक, दिनांक 19.06.07 से 18.06.12 तक एवं दिनांक 19.06.2012 से पुन: अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते है।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय एवं व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अर्हत्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री अजय कुमार पंडित	अधिवक्ता, बाँका	19.06.93	बी0ए0 एल0एल0बी0	बाँका जिला	

(सं0 सं0 ए0/नोट-11/92/4461/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

17 जून 2013

एस0ओ0 298, एस0ओ0 297, दिनांक 3 जुलाई 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0 ए0/नोट-11/92/4461/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

The 17th June 2013

S.O. 297, dated 3rd July 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ajay Kumar Pandit and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 3220/J dated 19.06.93 to practice as notary again from 19.06.2002 to 18.06.2007, 19.06.2007 to 18.06.2012 and 19.06.2012 for the next five year.

Name of Notary	Residental/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Ajay Kumar Pandit	Advocate, Banka	19.06.93	B.A L.L.B	Banka District	

(File no. A/Not-11/92/4461/J)
By Order of the Governor of Bihar,
VINOD KUMAR SINHA, *Secretary.*

---

17 जून 2013

एस0ओ0 299, दिनांक 3 जुलाई 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-716/जे0, दिनांक 21.02.2002 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री मो0 मोईनुल हक, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 21.02.2012 से पुन: अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते है।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय एवं व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्त्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री मो0 मोईनुल हक	अधिवक्ता, चकिया अनुमंडल न्यायालय	21.02.02	बी0एल0	चकिया अनुमंडल न्यायालय	

(सं0 सं0 ए0/नोट-03/95/4462/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

17 जून 2013

एस0ओ0 300, एस0ओ0 299, दिनांक 3 जुलाई 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0 ए0/नोट-03/95/4462/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

The 17th June 2013

S.O. 299, dated 3rd July 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Moinul Haque and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 716/J dated 21.02.2002 to practice as notary again for the next five years from 21.02.2012.

Name of Notary	Residental/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Moinul Haque	Advocate, Chakia Sub-Division Court	21.02.2002	B.L	Chakia Sub-Division	

(File no.-A/Not-03/95/4462/J)
By Order of the Governor of Bihar,
VINOD KUMAR SINHA, *Secretary.*

---

17 जून 2013

एस0ओ0 301, दिनांक 3 जुलाई 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-5273/जे0, दिनांक 11.10.1990 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री कमल किशोर केडिया, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 11.10.12 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय एवं व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अर्हता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री कमल किशोर केडिया	अधिवक्ता, नौगछिया अनुमंडल	11.10.90		नौगछिया अनुमंडल	

(सं0 सं0 ए0/ए0बी0-31/88/4463/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

17 जून 2013

एस0ओ0 302, एस0ओ0 301, दिनांक 3 जुलाई 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

(सं0 सं0 ए0/ए0बी0-31/88/4463/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

The 17th June 2013

S.O. 301, dated 3rd July 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Kamal Kishor Kedia and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 5273/J dated 11.10.90 to practice as notary again for the next five years from 11.10.2012.

Name of Notary	Residental/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Kamal Kishor Kedia	Advocate, Naugachia Sub-division	11.10.90		Naugachia Sub-division	

(File no.-A/AB-31/88/4463/J)
By Order of the Governor of Bihar,
VINOD KUMAR SINHA, *Secretary.*

---

17 जून 2013

एस0ओ0 303, दिनांक 3 जुलाई 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-485/जे0, दिनांक 07.02.1997 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री कृत्यानन्द विश्वास, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 07.02.2010 से पुन: अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते है।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय एवं व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अर्हत्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री कृत्यानन्द विश्वास	अधिवक्ता-सह-नोटरी अररिया	07.02.1997	बी0ए0 एल0एल0बी0	अररिया जिला	

(सं0 सं0 ए0/नोट-75/93/4464/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

17 जून 2013

एस0ओ0 304, एस0ओ0 303, दिनांक 3 जुलाई 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0 ए0/नोट-75/93/4464/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

The 17th June 2013

S.O. 303, dated 3rd July 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Kritya Nand Bishwas and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 485/J dated 07.02.1997 to practice as notary again for the next five years from 07.02.2010.

Name of Notary	Residental/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Kritya Nand Bishwas	Advocate, Araria	07.02.1997	B,A L.L.B	Araria District	

(File no.-A/Not-75/93/4464/J)
By Order of the Governor of Bihar,
VINOD KUMAR SINHA, *Secretary.*

---

17 जून 2013

एस0ओ0 285, दिनांक 3 जुलाई 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-1770/जे0, दिनांक 03.04.2008 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री प्रवीण कुमार सिन्हा, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 03.04.2013 से पुन: अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय एवं व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्त्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री प्रवीण कुमार सिन्हा	अधिवक्ता, मुजफ्फरपुर	03.04.2008	बी0एस0सी0 एल0एल0बी0	मुजफ्फरपुर जिला	

(सं0 सं0 ए0/नोट-118/04/4491/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

17 जून 2013

एस0ओ0 286, एस0ओ0 285, दिनांक 3 जुलाई 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0 ए0/नोट-118/04/4491/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

The 17th June 2013

S.O. 285, dated 3rd July 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Praveen Kumar Sinha and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 1770/J dated 03.04.2008 to practice as notary again for the next five years from 03.04.2013.

Name of Notary	Residental/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Praveen Kumar Sinha	Advocate, Muzaffarpur	03.04.2008	B.Sc L.L.B	Muzaffarpur District	

(File no.-A/Not-118/04/4491/J)
By Order of the Governor of Bihar,
VINOD KUMAR SINHA, *Secretary.*

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

13 जून 2013

सं0 ग्रा0वि0-3/स्था0-1-06/13 सं0-**151981**—प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदस्थापित निम्नांकित पदाधिकारियों की सेवाएँ प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनके पैतृक विभाग को वापस किया जाता है :-

क्र. सं.	RDD-ID NO.	पदाधिकारी का नाम एंव पदनाम	पैतृक विभाग का नाम
1	2	3	4
1	RDD/001090	श्री संजय कुमार, प्र0वि0पदा0, कोचाधामन, किशनगंज	अनु.जाति एवं अनु.जनजाति कल्याण विभाग
2	RDD/001501	श्री अरूण कुमार प्रसाद प्र0वि0पदा0, कल्याणपुर, पूर्वी चम्पारण	सहकारिता विभाग
3	RDD/000892	श्री शिवकुमार सिंह, प्र0वि0पदा0, कुचायकोट, गोपालगंज	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
4	RDD/001714	श्री सुरेश चन्द्र पाण्डेय, प्र0वि0पदा0, मनीगाछी, दरभंगा	पंचायती राज विभाग
5	RDD/001300	श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा, प्र0वि0पदा0, कहलगांव, भागलपुर	सहकारिता विभाग
6	RDD/000430	श्री शकीलुर्रहमान, प्र0वि0पदा0, तरियानी, शिवहर	श्रम संसाधन विभाग
7	RDD/001413	श्री संजीत कुमार, प्र0वि0पदा0, बंजरिया, पूर्वी चम्पारण	ग्रामीण विकास विभाग
8	RDD/001265	श्री ललन कुमार साह, प्र0वि0पदा0, रामनगर, पं0चम्पारण	सहकारिता विभाग

क्र. सं.	RDD-ID NO.	पदाधिकारी का नाम एंव पदनाम	पैतृक विभाग का नाम
1	2	3	4
9	RDD/000785	श्री यदुनन्दन प्रसाद, प्र0वि0पदा0, वारिसलीगंज, नवादा	पंचायती राज विभाग
10	RDD/001243	श्री रामयश राम, प्र0वि0पदा0, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर	सहकारिता विभाग
11	RDD/001542	श्रीमती शोभा कुमारी, प्र0वि0पदा0, अमनौर, सारण	ग्रामीण विकास विभाग
12	RDD/002311	श्री विजय कुमार चौधरी, प्र0वि0पदा0, पंडारक, पटना	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
13	RDD/000385	श्रीमती शारदा कुमारी, प्र0वि0पदा0, पालीगंज, पटना	पंचायती राज विभाग

2. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा ।

3. जिला पदाधिकारी तत्कालिक व्यवस्था के तहत निकटवर्ती ऐसे प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रभार दिलाना सुनिश्चित करेंगे, जिनका पदस्थापन दिनांक 30.06.10 के बाद हुआ हो।

4. उपरोक्त तालिका में अंकित पदाधिकारी विरमित होकर अपने पैतृक विभाग में योगदान करेंगे ।

5. उपरोक्त पदाधिकारी वेतन आदि अपने पैतृक विभाग से प्राप्त करेंगे ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मिथिलेश कुमार सिंह, अपर सचिव ।

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना
20 जून 2013

सं० 3/प्रो0–01–03/2012–234(3)/स्वा0—वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या 279 दिनांक 25.11.2008 बिहार स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग के वैसे नियमित गैर शैक्षणिक सम्वर्ग के चिकित्सा पदाधिकारियों को जिन्हें अपनी वृत्ति के दौरान किसी वित्तीय उन्नयन या पदोन्नति का लाभ नहीं मिला हो, को छः (06) वर्ष की सेवा पूरी होने पर पद के स्तर का उन्नयन के साथ प्रथम डायनेमिक ए0सी0पी0, 12 वर्ष की सेवा पूरी होने पर द्वितीय डायनेमिक ए0सी0पी0 एवं 18 वर्ष की सेवा पूरी होने पर तृतीय डायनेमिक ए0सी0पी0 का लाभ दिये जाने का प्रावधान किया गया है । यह उन्नयन उनके सम्वर्ग के लिए विहित विद्यमान उत्क्रम के वेतनमानों में, पद के स्तर के उन्नयन (in situ promotion) करते हुए करने का प्रावधान है ।

(2) वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या 279 दिनांक 25.11.2008 के अनुसूची–1 में प्रथम वित्तीय उन्नयन अपुनरीक्षित वेतनमान् रू0 10,000–15,200 में द्वितीय डायनेमिक वित्तीय उन्नयन रू0 12,000–16,500 में एवं तृतीय डायनेमिक वित्तीय उन्नयन रू0 14,300–18,300 में अनुमान्य किये गये हैं । तद्नुसार पुनरीक्षित प्रथम डायनेमिक वित्तीय उन्नयन 15600–39100 वेतन बैंड–PB-3, ग्रेड वेतन–6600, द्वितीय डायनेमिक वित्तीय उन्नयन वेतनमान–15600–39100 वेतन बैंड–PB-3, ग्रेड वेतन–7600, एवं तृतीय डायनेमिक वित्तीय उन्नयन वेतनमान–37400–67000 वेतन बैंड–PB-4, ग्रेड वेतन–8700 अनुमान्य किये गये हैं ।

(3) संलग्न सूची के अनुसार सम्प्रति कुल 92 (बानवे) चिकित्सा पदाधिकारियों को इनके नाम के सामने अंकित तिथि से यथाउल्लेखित प्रथम/द्वितीय/तृतीय डायनेमिक ए0सी0पी0 की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(4) मेडिकल कॉलेजों, इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना में पदस्थापित चिकित्सा पदाधिकारियों को इस शर्त्त पर डायनेमिक ए0सी0पी0 की स्वीकृति दी जाती है कि वे बिहार स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग के चिकित्सा पदाधिकारी हों एवं उन्हें जिस स्तर में डायनेमिक ए0सी0पी0 प्रदान की जा रही है उस स्तर में पूर्व में कोई प्रोन्नति/ए0सी0पी प्रदान नहीं की गयी हो । शैक्षणिक सम्वर्ग पर यह आदेश लागू नहीं होगा ।

(5) डायनेमिक ए0सी0पी0 वित्तीय उन्नयन के साथ पद के स्तर का उन्नयन है । अतः वेतन का निर्धारण (Fixation of Pay) वित्त विभाग के मौलिक नियमों (Fundamental rules) के अनुसार होगा ।

(6) राज्य सरकार द्वारा लागू किये जाने वाले छठे वेतनमान की अनुशंसाओं के आलोक में यदि कोई भिन्न अनुशंसा सरकार द्वारा लागू की जाती है, तो तद्नुसार इसमें संशोधन एवं रूपान्तरण हो सकेगा ।

(7) भविष्य में यदि इस उन्नयन में इसमें कोई त्रुटि पायी जाती है तो संबंधित मामले में डायनेमिक ए0सी0पी0 के तहत दी गयी पद के स्तर के उन्नयन स्वीकृति की तिथि से परिमार्जित की जा सकेगी तथा अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली सम्बंधित चिकित्सकों से किया जायेगा ।

महालेखाकार/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग वेतन पर्ची निर्गत होने के पूर्व यदि किसी मामले में कोई त्रुटि परिलक्षित होती है तो विभाग को सूचित करेंगे ताकि इसका निदान किया जा सके तथा कोई अनियमित/गलत भुगतान नहीं प्राप्त कर सके ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार, संयुक्त सचिव।

क0 सं0	**चिकित्सा पदाधिकारी का नाम**	**वरीयता क्रमांक 2008**	**जन्म तिथि**	**योगदान की तिथि**	**प्रथम डायनेमिक ए0सी0पी0 रू0 10,000–15,200** (पुनरीक्षित वेतनमान 15600–39100 वेतन बैंड–PB-3, ग्रेड वेतन–6600)	**द्वितीय डायनेमिक ए0सी0पी0 रू0 12,000–16,500** (पुनरीक्षित वेतनमान–15600–39100 वेतन बैंड–PB-3, ग्रेड वेतन–7600)	**तृतीय डायनेमिक ए0सी0पी0 रू0 14,300–18,300** (पुनरीक्षित वेतनमान–37400–67000 वेतन बैंड–PB-4, ग्रेड वेतन–8700)	**अभ्युक्ति**
[1]	**[2]**	**[3]**	**[4]**	**[5]**	**[6]**	**[7]**	**[8]**	**[9]**
1	डा0 रामाशीष प्रसाद सिंह (पूर्ण पेन्शन स्वीकृत–1834 (2)/29.11.2010) **(से0नि0–31.01.2010)**	2773	20.01.48	09.10.76	-	-	25.11.2008	
2	डा0 डी0के0 रमण **से0नि0–31.3.2011**	2897	26.03.49	15.04.78	-	-	25.11.2008	
3	डा0 ब्रज कुमार सिंह	3291	19.06.52	20.03.79	25.11.08	25.11.08	25.05.2009	
4	डा0 कृष्णा नन्द सिंह (अधि.सं.–20(2)/13.02.2009 द्वारा **(ऐ0से0नि0)**	3683	1.1.49	21.3.79	-	-	25.11.2008	
5	डा0 अशोक कुमार प्रसाद सिंह	3695	17.5.51	31.5.79	25.11.2008	25.11.2008	25.11.2008	
6	डा0 अवध कुमार	4339	2.2.53	25.6.81	-	25.11.2008	25.11.2008	
7	डा0 सुभाष चन्द्र सुधांशु	4341	15.01.51	15.07.81	-	-	25.11.2008	
8	डा0 सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव	4784	31.12.53	15.07.81	-	-	25.11.2008	
9	डा0 शीला गुप्ता **(से0नि0 31.5.2011)**	5049	25.5.49	1.12.83	-	-	25.11.2008	
10	डा0 अनीश कुमार	6427	28.06.58	19.03.88	-	25.11.2008	25.11.2008	
11	डा0 सुधांशु शेखर	6797	01.07.53	10.06.88	-	25.11.2008	25.11.2008	
12	डा0 राजीव कुमार वर्मा	6814	20.07.55	21.03.88	-	25.11.2008	25.11.2008	
13	डा0 राजीव रंजन	6817	5.4.54	16.03.88	-	25.11.2008	25.11.2008	
14	डा0 विजय कुमार	6960	05.04.53	16.03.88	-	25.11.2008	25.11.2008	

क0 सं0	चिकित्सा पदाधिकारी का नाम	वरीयता क्रमांक 2008	जन्म तिथि	योगदान की तिथि	प्रथम डायनेमिक ए0सी0पी0 रू0 10,000–15,200 (पुनरीक्षित वेतनमान 15600–39100 वेतन बैंड–PB-3, ग्रेड वेतन–6600)	द्वितीय डायनेमिक ए0सी0पी0 रू0 12,000–16,500 (पुनरीक्षित वेतनमान–15600–39100 वेतन बैंड–PB-3, ग्रेड वेतन–7600)	तृतीय डायनेमिक ए0सी0पी0 रू0 14,300–18,300 (पुनरीक्षित वेतनमान–37400–67000 वेतन बैंड–PB-4, ग्रेड वेतन–8700)	अभ्युक्ति
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
15	डा0 विभा सिन्हा	6962	30.3.58	16.3.88	-	25.11.2008	25.11.2008	
16	डा0 सुधीर कुमार	7017	3.10.53	11.3.88	25.11.2008	25.11.2008	25.11.2008	
17	डा0 अनिल कुमार सिंह	7087	3.2.57	21.3.88		25.11.2008	25.11.2008	
18	डा0 मनोज कुमार रंजन **(ऐ0से0नि0) 31.07.2010**	7102	1.1.58	21.3.88	25.11.2008	25.11.2008	25.11.2008	
19	डा0 सुखी राउत	7390	15.01.54	15.03.88	20.07.2009	20.07.2009	20.07.2009	
20	डा0 शिव नारायण साह	7546	01.01.56	15.03.88	-	25.11.2008	25.11.2008	
21	डा0 अमरेन्द्र किशोर चौधरी	7626	15.8.58	26.3.88	25.11.2008	25.11.2008	25.11.2008	
22	डा0 विपिन कुमार	7697	23.05.57	11.03.88	-	25.11.2008	25.11.2008	
23	डा0 संजीता रानी	7732	08.07.58	04.07.89	-	25.11.2008	25.11.2008	
24	डा0 शिव कुमार प्रसाद चक्रवर्त्ती	8024	20.01.61	02.02.90	25.11.2008	25.11.2008	25.11.2008	
25	डा0 (श्रीमती) निलिमा शरण(25.11.2008 द्वारा द्वितीय डायनेमिक ए0सी0पी0 प्राप्त)	8263	23.08.61	08.11.90	-	-	25.05.2011	
26	डा0 मणी भूषण सिन्हा	8294	20.7.60	13.11.90	-	-	25.11.2008	
27	डा0 चन्द्र शेखर आजाद	8494	05.11.59	21.11.90	-	25.11.2008	07.09.2010	
28	डा0 पूनम रमण	8574	7.10.62	8.11.90	-	25.11.2008	25.11.2008	
29	डा0 सुभाष चन्द्र झा	8650	2.7.62	15.11.90	-	-	25.11.2008	
30	डा0 शत्रुघ्न कुमार उपाध्याय	8671	3.2.57	29.10.90	23.12.2008	23.12.2008	25.6.2009	
31	डा0 जयेश रंजन	8766	29.5.65	8.11.90	-	-	25.11.2008	
32	डा0 रमण कुमार सिंह	9085	11.11.61	03.11.90	25.11.2008	25.11.2008	25.11.2008	
33	डा0 राजीव कुमार सिंह	8814	15.12.61	23.11.90	-	-	25.11.2008	
34	डा0 रवि रंजन	8824	25.03.61	20.11.90	-	25.11.2008	25.11.2008	
35	डा0 रंजन कुमार	8879	26.11.59	20.11.90	-	25.11.2008	25.11.2008	
36	डा0 सुनीति सिन्हा (25.11.2008 द्वारा द्वितीय डायनेमिक ए0सी0पी0 प्राप्त)	8888	05.01.60	15.11.90	-	-	25.11.2008	

क0 सं0	चिकित्सा पदाधिकारी का नाम	वरीयता क्रमांक 2008	जन्म तिथि	योगदान की तिथि	प्रथम डायनेमिक ए0सी0पी0 रू0 10,000–15,200 (पुनरीक्षित वेतनमान 15600–39100 वेतन बैंड–PB-3, ग्रेड वेतन–6600)	द्वितीय डायनेमिक ए0सी0पी0 रू0 12,000–16,500 (पुनरीक्षित वेतनमान–15600–39100 वेतन बैंड–PB-3, ग्रेड वेतन–7600)	तृतीय डायनेमिक ए0सी0पी0 रू0 14,300–18,300 (पुनरीक्षित वेतनमान–37400–67000 वेतन बैंड–PB-4, ग्रेड वेतन–8700)	अभ्युक्ति
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
37	डा0 मधु सिन्हा	8891	12.11.64	09.11.90	-	25.11.2008	25.11.2008	
38	डा0 दिलीप कुमार सिंह	8907	17.11.61	15.11.90	-	-	07.05.2012	
39	डा0 राजीव रंजन	8919	5.9.63	26.10.90	25.11.2008	25.11.2008	11.04.2012	
40	डा0 अनील कुमार सिंह	8924	30.10.61	1.11.90	-	-	25.11.2008	
41	डा0 चन्देश्वर सिंह	8969	25.01.58	31.10.90	25.11.2008	25.11.2008	25.11.2008	
42	डा0 प्रवीण कुमार सिन्हा (25.11.2008 द्वारा द्वितीय डायनेमिक ए0सी0पी0 प्राप्त)	8970	15.01.59	02.11.90	-	-	25.11.2008	
43	डा0 जयप्रकाश सिन्हा	8974	4.9.63	30.10.90	-	-	25.11.2008	
44	डा0 शैलेन्द्र कुमार विश्वकर्मा	9270	08.10.63	22.11.90	-	25.11.2008	25.11.2008	
45	डा0 हेमन्त कुमार झा	9314	02.10.61	15.11.90	25.11.2008	25.11.2008	25.11.2008	
46	डा0(श्रीमती) स्नेहलता वर्मा	9326	17.08.60	15.10.90	-	-	10.11.2011	
47	डा0 सुजीत कुमार मंडल(25.11.2008 द्वारा द्वितीय डायनेमिक ए0सी0पी0 प्राप्त)	9336	26.03.62	15.11.90	-	-	25.11.2008	
48	डा0 नागेन्द्र प्रसाद सिन्हा	9351	1.2.52	21.11.90	25.11.2008	25.11.2008	-	
49	डा0 रामजी प्रसाद तांती	9353	14.11.59	8.11.90	-	25.11.2008	25.11.2008	
50	डा0 विरेन्द्र कुमार	9372	15.01.54	21.12.92	25.11.2008	25.11.2008	21.12.2010	
51	डा0 विजय कुमार	9387	22.9.64	6.11.90	-	-	25.11.2008	
52	डा0 अजय कुमार	9408	16.01.60	23.01.90	-	25.11.2008	25.11.2008	
53	डा0 ब्रज नन्दन शर्मा	9452	14.07.55	27.10.90	-	25.11.2008	25.11.2008	
54	डा0 कुमार गंगेय राय	9494	25.4.61	22.9.90	25.11.2008	25.11.2008	25.11.2008	
55	डा0 अशोक कुमार (25.11.2008 द्वारा द्वितीय डायनेमिक ए0सी0पी0 प्राप्त)	9545	10.01.62	07.12.90	-	-	07.12.2008	
56	डा0 शरद कुमार	9572	20.09.63	04.10.90	-	25.11.2008	-	
57	डा0 बृज किशोर प्रसाद	9627	18.2.57	24.11.90	-	-	25.11.2008	
58	डा0 धर्मेन्द्र कुमार	9630	12.12.63	24.1.91	-	-	24.01.2009	

क0 सं0	चिकित्सा पदाधिकारी का नाम	वरीयता क्रमांक 2008	जन्म तिथि	योगदान की तिथि	प्रथम डायनेमिक ए0सी0पी0 रू0 10,000–15,200 (पुनरीक्षित वेतनमान 15600–39100 वेतन बैंड–PB-3, ग्रेड वेतन–6600)	द्वितीय डायनेमिक ए0सी0पी0 रू0 12,000–16,500 (पुनरीक्षित वेतनमान–15600–39100 वेतन बैंड–PB-3, ग्रेड वेतन–7600)	तृतीय डायनेमिक ए0सी0पी0 रू0 14,300–18,300 (पुनरीक्षित वेतनमान–37400–67000 वेतन बैंड–PB-4, ग्रेड वेतन–8700)	अभ्युक्ति
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
59	डा0 राजीव सिन्हा (25.11.2008 द्वारा द्वितीय डायनेमिक ए0सी0पी0 प्राप्त)	9649	09.05.63	28.01.91	-	-	28.01.2009	
60	डा0 श्रीमती ज्योति अग्रवाल	9664	9.1.65	15.1.91	-	-	15.01.2009	
61	डा0 सोमेन कुमार चटर्जी	9677	9.11.61	14.1.91	-	-	14.01.2009	
62	डा0 रेखा सिन्हा	9771	24.01.61	23.01.91	25.11.2008	25.11.2008	18.08.2010	
63	डा0 दीपक कुमार गुप्ता	9875	05.08.63	03.11.90	-	25.11.2008	25.11.2008	
64	डा0 रामराज शर्मा	9887	02.02.53	19.01.91	25.11.2008	25.11.2008	19.01.2009	
65	डा0 सतीश कुमार सिन्हा	9940	31.05.57	14.12.90	-	25.11.2008	-	
66	डा0 रवीन्द्र कुमार	9950	28.12.55	03.11.90	25.11.2008	25.11.2008	25.11.2008	
67	डा0 अनुराधा	9985	24.11.62	30.01.91	25.11.2008	25.11.2008	30.01.2009	
68	डा0 जगदीश चौधरी (25.11.2008 द्वारा द्वितीय डायनेमिक ए0सी0पी0 प्राप्त)	10046	22.11.62	26.09.90	-	-	25.11.2008	
69	डा0 विजय कुमार भारद्वाज	10052	12.2.60	25.1.91	-	-	25.01.2009	
70	डा0 अरूण कुमार झा	10095	03.08.54	24.01.91	25.11.2008	25.11.2008	24.01.2009	
71	डा0 सुरेन्द्र कुमार महतो	10126	04.06.54	23.10.90	-	25.11.2008	25.11.2008	
72	डा0 वाचस्पति ठाकुर	10189	05.05.51	05.01.91	25.11.2008	25.11.2008	-	
73	डा0 नवीन कुमार	10246	1.9.59	14.1.91	25.11.2008	25.11.2008	10.03.2012	
74	डा0 राज नन्दन प्रसाद	10289	20.01.53	01.01.91	-	25.11.2008	01.01.2009	
75	डा0 सकलदेव राम (25.11.2008 द्वारा द्वितीय डायनेमिक ए0सी0पी0 प्राप्त)	10379	03.01.61	30.10.90	-	-	25.11.2008	
76	डा0 नृपेन्द्र नारायण सिन्हा	10416	21.11.51	01.01.96	23.11.2010	23.11.2010	-	
77	डा0 संजय कुमार राव	10444	24.03.67	25.06.97	25.11.2008	25.06.2009	-	
78	डा0 शशि कुमार दास	10480	16.06.64	09.07.97	25.11.2008	09.07.2009	-	
79	डा0 जयकान्त पासवान	10507	31.01.69	16.06.97	25.11.2008	16.06.2009	-	
80	डा0 विजय कुमार साहा	10508	04.01.59	21.06.97	25.11.2008	21.06.2009	-	
81	डा0 विजय कुमार	10515	10.02.71	16.06.97	25.11.2008	16.06.2009	-	

क0 सं0	चिकित्सा पदाधिकारी का नाम	वरीयता क्रमांक 2008	जन्म तिथि	योगदान की तिथि	**प्रथम डायनेमिक ए0सी0पी0 रू0 10,000–15,200** (पुनरीक्षित वेतनमान 15600–39100 वेतन बैंड–PB-3, ग्रेड वेतन–6600)	**द्वितीय डायनेमिक ए0सी0पी0 रू0 12,000–16,500** (पुनरीक्षित वेतनमान–15600–39100 वेतन बैंड–PB-3, ग्रेड वेतन–7600)	**तृतीय डायनेमिक ए0सी0पी0 रू0 14,300–18,300** (पुनरीक्षित वेतनमान–37400–67000 वेतन बैंड–PB-4, ग्रेड वेतन–8700)	अभ्युक्ति
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
82	डा0 राकेश कुमार	10539	06.05.70	02.07.97	25.11.2008	-	-	
83	डा0 फजल अहमद	10553	01.06.61	30.06.97	25.11.2008	30.06.2009	-	
84	डा0 संजय कुमार	10561	01.05.67	28.06.97	25.11.2008	26.06.2009	-	
85	डा0 मंजु कुमारी	10589	18.7.69	5.7.97	25.11.2008	05.07.2009	-	
86	डा0 रामबालक प्रसाद	10595	03.02.65	08.07.97	25.11.2008	-	-	
87	डा0 अशोक कुमार पासवान	10617	21.01.67	04.07.97	25.11.2008	04.07.2009	-	
88	डा0 देवेन्द्र कुमार	10618	10.02.68	08.07.97	25.11.2008	08.07.2009	-	
89	डा0 विजय कुमार पासवान	10634	15.01.67	01.07.97	25.11.2008	18.07.2009	-	
90	डा0 खुर्शीद आलम	10681	27.10.70	31.03. 2000	25.11.2008	-	-	
91	डा0 अजय लाल	10685	29.08.71	11.07. 2000	25.11.2008	11.07.2012	-	
92	डा0 मोहन पासवान	10771	15.02.63	27.03. 2000	-	22.05.2012		

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार, संयुक्त सचिव।

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 15—571+150-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

शुद्धि-पत्र

2 मई 2013

सं. प्र.10-उ.वि. (**NH**)-10/06-3469 (एस)—श्री मोहन सिन्हा, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, बेगूसराय तथा पथ प्रमंडल, जयनगर (सम्प्रति राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, जयनगर) सम्प्रति दिनांक-31-01-08 को सेवानिवृत सहायक अभियंता के विरूद्ध पथ प्रमंडल, बेगूसराय के पदस्थापन काल में भौतिक सत्यापन के क्रम में इनके भंडार लेखा में 83.768 मे. टन अलकतरा एवं स्थल लेखा में 3.103 मे. टन अलकतरा की कम पाई गई मात्रा के मूल्य की वसूली इनसे करने तथा पथ प्रमंडल, जयनगर के पदस्थापन काल में झामा मेटल 373.57 M^3 जिसका मूल्य 646.21 प्रति घन मीटर की दर से ₹ 2,41,405.00 और बल्क बिटुमिन 146.242 मे. टन जिसका मूल्य 1079.92 प्रति मे. टन की दर से ₹ 15,78,817.00 अर्थात कुल ₹ 18,20,222.00 के झामा मेटल एवं बल्क बिटुमिन का प्रभार अपने प्रतिस्थानी को कम सौंपने के आरोपों के लिए इन्हें निलंबित किया गया तथा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन के उपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या 1438 (एस)-सह-पठित ज्ञापांक-1439 (एस) दिनांक-22-02-13 की कंडिका-8 द्वारा निम्न दंड संसूचित किया गया :-

(i) ₹ 15,78,817.00+₹ 3,47,484= ₹ 19,26,301.00 की वसूली इनके सेवानिवृत लाभों से की जाय।

(ii) इनकी निलंबन की अवधि दिनांक 15-05-07 से दिनांक 31-01-08 तक के विनियमन के संबंध में इनसे अलग से कारण पृच्छा कर निर्णय लिया जायेगा।

2. विभागीय समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री सिन्हा से पथ प्रमंडल, जयनगर (सम्प्रति राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, जयनगर) से संबंधित झामा मेटल हेतु ₹ 2,41,405.00 एवं बल्क बिटुमिन हेतु ₹ 15,78,817.00 अर्थात कुल ₹ 18,20,222.00 में से ₹ 4,288.00 प्रति माह की दर से 36 किस्तों में कुल ₹ 1,54,368.00 की वसूली पूर्व में की जा चुकी है।

3. अतएव विभागीय अधिसूचना संख्या-1438 (एस)-सह-पठित ज्ञापांक-1439 (एस) दिनांक 22-02-13 की कंडिका-8 (i) को निम्न रूपेण संशोधित किया जाता है :-

₹ 14,24,449.00+₹ 3,47,484.00=₹ 17,71,933.00 की वसूली इनके सेवानिवृति लाभों से की जाय।

4. विभागीय अधिसूचना संख्या-1438 (एस)-सह-पठित ज्ञापांक-1439 (एस) दिनांक 22-02-13 की कंडिका-8 (ii) यथावत रहेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

(ह0) अस्पष्ट, उप-सचिव (निगरानी) ।

अधिसूचना
शुद्धि–पत्र
8 मई 2013

सं0 निग / सारा–1–(ग्रा0)–24 / 05–3636 (एस)—विभागीय अधिसूचना संख्या 15390 (एस) दिनांक 10.11.10 द्वारा श्री शिवधर राम, तत्कालीन सहायक अभियंता, पुपरी एवं नानपुर प्रखण्ड (सीतामढ़ी) सम्प्रति सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, सहरसा के निलंबन के संबंध में सी॰डब्ल्यू॰जे॰सी॰ सं0 14403 / 10 शिवधर राम बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 09.09.10 को माननीय उच्च न्यायालय, बिहार, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में निम्न निर्णय लिया गया था :–

(क) इन्हें उपर्युक्त न्याय निर्णय की तिथि 09.09.10 के प्रभाव से निलम्बन से मुक्त किया जाता है।

(ख) इनके निलंबित अवधि का विनिश्चय इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल पर निर्भर करेगा।

(ग) निलंबन से मुक्ति के उपरांत ये अपना योगदान अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय में करेंगे।

2. सी॰डब्ल्यू॰जे॰सी॰ सं0 14403 / 10 में दिनांक 09.09.10 को पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 15390 (एस), दिनांक 10.11.10 को निम्नरूपेण अल्प संशोधित किया जाता है :–

(क) श्री राम के निलंबन संबंधी विभागीय अधिसूचना संख्या–3709 (एस)–सह–पठित ज्ञापांक–3710 (एस) दिनांक 03.04.06 को निरस्त किया जाता है।

(ख) इनके निलंबन अवधि के लिए इन्हें वेतनादि का भुगतान पूर्व में इस मद में भुगतेय राशि को घटाकर किया जायेगा।

3. श्री राम के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में निर्णयोपरांत आदेश अलग से संसूचित किया जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०)–अस्पष्ट, उप–सचिव (निगरानी)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 15—571+50-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचनाएं

14 फरवरी 2013

सं० निग/सारा–6 द0वि0 (मुक0)–41/2012–1183 (एस)—श्री राजनारायण चौधरी, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, रूपांकण–सह–यांत्रिक अंचल, गंगा पुल परियोजना, पटना सम्प्रति निलंबित द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या–2635 (एस) दिनांक 07.03.12 द्वारा किये गये निलंबन के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्लू0जे0सी0सं0 18578/2012 में दिनांक 19.10.12 को पारित आदेश में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या–2635 (एस) दिनांक 07.03.12 के कार्यान्वयन पर तत्काल रोक लगाया गया है।

2. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में निलंबन आदेश अधिसूचना संख्या–2635 (एस) दिनांक 07.03.12 को तत्काल स्थगित रखा जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०)–अस्पष्ट, उप–सचिव (निगरानी)।

22 फरवरी 2013

सं. प्र.10-उ.वि. (NH)-10/06-1438 (एस)—श्री मोहन सिन्हा, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, बेगूसराय तथा पथ प्रमंडल, जयनगर (सम्प्रति राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, जयनगर) सम्प्रति दिनांक 31-01-08 को सेवानिवृत सहायक अभियंता के विरूद्ध पथ प्रमंडल, बेगूसराय के पदस्थापन काल में भौतिक सत्यापन के क्रम में इनके भंडार लेखा में 83.768 मे. टन अलकतरा एवं स्थल लेखा में 3.103 मे. टन अलकतरा की कम पाई गई मात्रा के मूल्य की वसूली इनसे करने तथा पथ प्रमंडल, जयनगर के पदस्थापन काल में झामा मेटल 373.57 M^3 जिसका मूल्य 646.21 प्रति घन मीटर की दर से ₹ 2,41,405.00 और बल्क बिटुमिन 146.242 मे. टन जिसका मूल्य 1079.92 प्रति मे. टन की दर से ₹ 15,78,817.00 अर्थात कुल ₹ 18,20,222.00 के झामा मेटल एवं बल्क बिटुमिन का प्रभार अपने प्रतिस्थानी को कम सौंपने के आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या-6089 (एस) दिनांक 15-05-07 द्वारा इन्हें निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-6522 (एस) अनु. दिनांक 25-05-07 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही

संचालित की गयी। श्री सिन्हा, तत्कालीन कनीय अभियंता दिनांक 31-01-08 को निलंबन की स्थिति में ही सेवानिवृत हो गए। श्री सिन्हा के सेवानिवृति के फलस्वरूप विभागीय संकल्प ज्ञापांक-3376 (एस) दिनांक 11-03-08 द्वारा इनके विरूद्ध पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत सम्परिवर्तित किया गया।

2. विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-10 अनु. दिनांक 12-02-08 द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में इनके विरूद्ध गठित सभी 3 (तीन) आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया। प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के समीक्षोपंरात असहमति के बिन्दुओं को चिन्हित करते हुए तथा जॉच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-1960 (एस) अनु. दिनांक 09-03-09 द्वारा श्री सिन्हा से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी। साथ ही, विभागीय पत्रांक-1959 (एस) अनु. दिनांक 09-03-09 द्वारा जॉच प्रतिवेदन, विभागीय कार्यवाही में श्री सिन्हा द्वारा समर्पित बचाव वयान तथा राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, जयनगर का पत्रांक-106 अनु. दिनांक 19-01-07 जिसके द्वारा प्रस्तुत प्रकरण से संबंधित श्री मोहन सिन्हा द्वारा दायर सी.डब्लू.जे.सी.सं.-9166/2004 में दाखिल ओथ संख्या-9062 दिनांक 11-05-05 एवं वाद की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त हुई, की छाया प्रति संलग्न करते हुए बिन्दुवार मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, जयनगर तथा कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बेगूसराय से किया गया।

3. श्री मोहन सिन्हा, तत्कालीन कनीय अभियंता के पत्रांक-शून्य दिनांक 27-03-09 द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक-7947(एस), दिनांक 20-07-09 द्वारा कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बेगूसराय तथा विभागीय पत्रांक-7970(एस) अनु. दिनांक 20-07-09 द्वारा कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, जयनगर से श्री सिन्हा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर का सत्यापन कार्यालय अभिलेख से करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराने तथा विभागीय पत्रांक-1959 (एस) अनु. दिनांक 09-03-09 द्वारा याचित सूचना/प्रतिवेदन भी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, जयनगर को विभागीय पत्रांक-10576 (एस) दिनांक 24-09-09, पत्रांक-255 (एस) दिनांक 06-01-11, पत्रांक-2885 (एस) दिनांक 10-03-11, पत्रांक-12289 (एस) अनु. दिनांक 11-11-11 एवं पत्रांक-9530 (एस) दिनांक 28-08-12 द्वारा स्मारित भी किया गया।

4 कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बेगूसराय के पत्रांक-1081 अनु. दिनांक 07-09-09 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में सूचित किया गया कि भैट टूटने की सूचना अथवा पत्राचार श्री सिन्हा द्वारा प्रमंडल को देने का कोई साक्ष्य श्री मोहन सिन्हा के व्यक्तिगत संचिका अथवा अन्य अभिलेख में नहीं है। श्री सिन्हा के वगैर साक्ष्य के मौखिक वयान का कोई महत्व नहीं है। यह भी प्रतिवेदित किया गया कि श्री सिन्हा के प्रभार प्रतिवेदन में प्रपत्र-'क' एवं 'ख' का न तो जिक्र है और न ही संलग्न है।

5. कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, जयनगर के पत्रांक-1176 अनु. दिनांक 03.11.12 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में सूचित किया गया कि तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा अलकतरे के उपयोग

पर रोक लगायी गयी थी तथा तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, जयनगर सम्प्रति राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, जयनगर के पत्रांक-559 दिनांक 09-07-02 द्वारा कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मधुबनी को झामा मेटल के संबंध में लिखा गया था कि वर्तमान में इसकी जॉच स्थल से कर पाना संभव नही है। उपलब्ध साक्ष्य के आलोक में उत्तर सही प्रतीत होता है (झामा मेटल से संबंधित)। बल्क बिटुमिन की कमी के संबंध में श्री सिन्हा द्वारा दिये गये द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर के संबंध में प्रतिवेदित किया गया कि तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा बिटुमिन के उपयोग पर रोक लगाते हुए अनुपयोगी बिटुमिन की अवशेष मात्रा की गणना हेतु सहायक अभियंता को कार्यालय के पत्रांक-1385 दिनांक 19-02-98 द्वारा लिखा गया था। अत: यह कहना युक्तिसंगत नहीं है कि तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

6. विभागीय समीक्षा में पथ प्रमंडल, बेगूसराय से संबंधित प्रभार में पायी गयी सामग्रियों की कमी का आरोप श्री सिन्हा पर प्रमाणित पाया गया। फलत: भौतिक सत्यापन के क्रम में 83.768 मे. टन तथा स्थल लेखा में 3.103 मे. टन अलकतरा की कमी की राशि की वसूली की कार्रवाई के लिए पथ प्रमंडल, बेगूसराय से उक्त बिटुमिन की तत्कालीन दर की सूचना प्राप्त कर उक्त राशि की वसूली श्री सिन्हा के सेवानिवृति लाभों से करने का निर्णय लिया गया। साथ ही, पथ प्रमंडल, जयनगर सम्प्रति राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, जयनगर से संबंधित आरोप में झामा मेटल की कमी जिसका मूल्य ₹ 2,41,405.00 आंका गया के संबंध में श्री सिन्हा से प्राप्त बचाव वयान एवं कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, जयनगर से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में स्पष्टीकरण/बचाव वयान को स्वीकार योग्य पाते हुए इस राशि की वसूली नहीं करने का निर्णय लिया गया, लेकिन 146.242 मे. टन बल्क बिटुमिन की कमी जिसका मूल्य ₹ 15,78,817.00 आंका गया की वसूली श्री सिन्हा के सेवानिवृति लाभों से करने का निर्णय लिया गया।

7. तदनुसार विभागीय पत्रांक-12216 (एस) दिनांक 23-11-12 द्वारा श्री सिन्हा, तत्कालीन कनीय अभियंता के प्रभार में भौतिक सत्यापन के क्रम में एवं स्थल लेखा में कम पाई गई बिटुमिन के तत्कालीन दर की सूचना उपलब्ध कराने का निदेश कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बेगूसराय को दिया गया तथा पत्रांक-13306 (एस) अनु. दिनांक 28.12.12 द्वारा स्मारित भी किया गया। कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बेगूसराय के पत्रांक-26 अनु. दिनांक 07-01-13 द्वारा प्रासंगिक अवधि में बिटुमिन का दर ₹ 4000.00 प्रति टन प्रतिवेदित किया गया। तदआलोक में पथ प्रमंडल, बेगूसराय के प्रभार में बिटुमिन की कम पाई गई मात्रा 86.871 मे. टन की कीमत ₹ 4000.00 प्रति मे. टन के दर के अनुसार ₹ 3,47,484.00 पायी गयी।

8. अतएव सरकार के निर्णयानुसार श्री मोहन सिन्हा, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, बेगूसराय तथा पथ प्रमंडल, जयनगर (सम्प्रति राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, जयनगर) सम्प्रति दिनांक 31-01-08 को सेवानिवृत सहायक अभियंता के विरूद्ध निम्न आदेश संसूचित किया जाता है :-

(i) ₹ 15,78,817.00+₹ 3,47,484= ₹ 19,26,301.00 की वसूली इनके सेवानिवृत लाभों से की जाय।

(ii) इनकी निलंबन की अवधि दिनांक 15-05-07 से दिनांक 31-01-08 तक के विनियमन के संबंध में इनसे अलग से कारण पृच्छा कर निर्णय लिया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

(ह0)-अस्पष्ट, उप-सचिव (निगरानी)।

---

12 मार्च 2013

सं. निग/सारा-2 (पथ)-56/2003 (अंश-आ)-1989(एस)—श्री ब्रजभूषण प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या-1, जहानाबाद को उक्त पदस्थापन काल के दौरान बिना कार्य कराये फर्जी विपत्रों के माध्यम से राशि निकासी के संबंध में मार्च 2001 में जिला पदाधिकारी, जहानाबाद से प्राप्त सूचना एवं तदआलोक में उड़नदस्ता दल के जॉच प्रतिवेदन के आलोक में निलंबित करते हुए संकल्प ज्ञापांक-3623 (एस) दिनांक 23-05-2002 द्वारा संचालित की गयी विभागीय कार्यवाही में अधिसूचना संख्या-3937 (एस) दिनांक 01-04-2011 द्वारा तात्कालिक प्रभाव से सेवा से बर्खास्त किया गया था।

2. श्री प्रसाद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर सी. डब्लू. जे. सी. सं.-20209/2010 में दिनांक 30-07-2012 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्न आदेश पारित किया गया :-

"The order of dismissal is therefore set aside. It is open for the punishing authority to pass a fresh order taking into account these facts for holding a departmental enquiry"

3. श्री प्रसाद द्वारा न्यायादेश की प्रति संलग्न करते हुए दिनांक-31-08-2012 को विभाग में योगदान दिया गया।

4. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में श्री ब्रजभूषण प्रसाद के विरूद्ध निर्गत दंड अधिसूचना संख्या-3937 (एस) दिनांक 01-04-2011 को निरस्त करते हुए इनके विरूद्ध नये सिरे से विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया जाता है।

5. श्री प्रसाद के योगदान को स्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (5) के तहत बर्खास्तगी की तिथि 01-04-2011 से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है।

6. निलंबन अवधि के दौरान इनका मुख्यालय अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया जाता है।

7. निलंबन अवधि के दौरान बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10 में निहित प्रावधान के आलोक में जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

(ह0)-अस्पष्ट, उप-सचिव (निगरानी)।

14 मार्च 2013

सं. निग/सारा-1 (पथ)05/06 (अंश-**I**)-2079 (एस) —श्री वशिष्ठ नारायण, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल बिहारशरीफ सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, नगर विकास विभाग को उक्त पदस्थापन काल के दौरान बिहारशरीफ-एकंगरसराय-तेलहाड़ा पथ के सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण कार्य में बरती गयी अनियमितता के लिए मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक में निलंबित करते हुए संकल्प ज्ञापांक-8973(एस) दिनांक 01-08-06 द्वारा संचालित की गयी विभागीय कार्यवाही में अधिसूचना संख्या-14116(एस) दिनांक 07-12-07 द्वारा निम्न दंड संसूचित किया गया था :-

i इन्हें कार्यपालक अभियंता के वेतनमान के न्यूनतम प्रक्रम पर तीन वर्षों के लिए अवनत किया जाता है। इस अवनति के अवधि के दौरान इन्हें वेतन वृद्धि देय नहीं होगी परन्तु इस अवधि के बाद इस अवनति का प्रभाव इनके भावी वेतनवृद्धि पर नहीं होगा।

ii इन्हें निन्दन की सजा दी जाती है जिसकी प्रविष्टि इनके चारित्री वर्ष 1999-2000 में की जायेगी।

iii इन्हें निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा परन्तु यह अवधि अन्य प्रयोजनार्थ कर्त्तव्य अवधि मानी जायेगी।

2. श्री नारायण द्वारा उक्त दंडादेश के विरूद्ध माननीय उच्च् न्यायालय में दायर सी. डब्लू. जे. सी. सं.-2993/2008 में दिनांक 29-04-2011 को पारित आदेश द्वारा दंडादेश को निरस्त करते हुए संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से असहमत होने के कारणों का उल्लेख करते हुए द्वितीय कारण पृच्छा प्राप्त कर इस मामले में सकारण आदेश निर्गत करने का आदेश दिया गया।

3. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में श्री वशिष्ठ नारायण के विरूद्ध निर्गत दंड अधिसूचना संख्या-14116(एस) दिनांक 07-12-07 को निरस्त किया जाता है।

4. श्री नारायण से अलग से द्वितीय कारण पृच्छा की जा रही है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

(ह0)-अस्पष्ट, उप-सचिव (निगरानी)।

---

9 अप्रील 2013

सं० निग/सारा–9 (झारखण्ड)–03/2012–2802 (एस)—श्री श्याम सुन्दर प्रसाद, सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल संख्या–2, छपरा, पथ प्रमंडल, छपरा को सहायक अभियंता, भवन अवर प्रमंडल, पाकुड़, झारखण्ड के पदस्थापन काल में पाकुड़ समाहरणालय भवन निर्माण कार्य में एकरारनामा से भिन्न, विभिन्न मदों में गलत दावा अग्रसारित कर अनियमित भुगतान में सहयोग प्रदान करने जैसी बरती गयी अनियमितता के लिए पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या 3966 (एस), दिनांक 11.09.06 द्वारा असैनिक सेवाऐं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 49 ए के तहत निलंबित किया गया था। उक्त आदेश में विभागीय कार्यवाही हेतु आरोप पत्र अलग से निर्गत किये जाने का भी उल्लेख था।

2. श्री प्रसाद की सेवा अंतिम रूप से बिहार राज्य आवंटित किये जाने के फलस्वरूप पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या 4595, दिनांक 20.10.06 द्वारा विरमित किये जाने के आलोक में श्री प्रसाद द्वारा दिनांक 14.11.06 को पथ निर्माण विभाग, बिहार में योगदान दिया गया।

3. श्री प्रसाद के निलंबन के संबंध में पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। श्री प्रसाद द्वारा पथ निर्माण विभाग, बिहार में योगदान के समय भी निलंबन के तथ्य को छुपा लिया गया। फलतः श्री प्रसाद के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित नहीं की जा सकी।

4. पथ निर्माण विभाग, बिहार में योगदान के पूर्व श्री प्रसाद के निलंबन में रहने तथा उन्हें निलंबन से मुक्त नहीं किये जाने के संबंध में पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड से सूचना प्राप्त होने के उपरांत संपूर्ण तथ्यों के समीक्षोपरांत बिहार सरकारी

सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (7) में निहित प्रावधान एवं एल0पी0ए0सं0 778/09 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये नियमन के आलोक में निलंबन के 7 माह के अंदर आरोप पत्र गठित नहीं होने की पृष्ठभूमि में श्री श्याम सुन्दर प्रसाद के विरूद्ध पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्गत निलंबन आदेश अधिसूचना संख्या–3966 (एस) दिनांक 11.09.06 स्वतः वापस लिया गया समझा जायेगा तथा श्री प्रसाद वेतन के हकदार होंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०)–अस्पष्ट, उप–सचिव (निगरानी)।

---

10 अप्रील 2013

सं० निग/सारा–9 (झारखण्ड)–03/2012–2880 (एस)—श्री निरंजन कुमार साहा, सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल, मुंगेर, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, लखीसराय को कनीय अभियंता, भवन प्रशाखा, पाकुड़ के पदस्थापन काल में पाकुड़ समाहरणालय भवन निर्माण कार्य में एकरारनामा से भिन्न, विभिन्न मदों में गलत दावा प्रस्तुत कर संवेदक को अधिक एवं अनियमित भुगतान में सहयोग प्रदान करने जैसी बरती गयी गंभीर अनियमितताओं के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (1) (क) के तहत तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि के दौरान बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10 के अध्याधीन शर्तों के तहत इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय अभियंता प्रमुख का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया जाता है।

4. इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु अलग से आरोप पत्र निर्गत किया जा रहा है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०)–अस्पष्ट, उप–सचिव (निगरानी)।

---

16 अप्रील 2013

सं0 निग/सारा–6 (आरोप) द0वि0 (ग्रा0)–145/2008–3092 (एस)—श्री धुरेश प्रसाद सिंह, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बिहारशरीफ सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बिहारशरीफ के पदस्थापन काल में बरती गयी अनियमितता के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–6500 (एस) अनु0 दिनांक 05.05.10 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही के विरूद्ध श्री सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर सी0डब्लू0जे0सी0सं0 13660/2011 में दिनांक 06.08.12 को पारित आदेश के आलोक में उक्त विभागीय कार्यवाही को निरस्त करते हुए श्री सिंह को आरोप से मुक्त किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०)–अस्पष्ट, उप–सचिव (निगरानी)।

---

2 मई 2013

सं० निग/सारा–9 (आरोप)–75/2011–3461 (एस)—श्री सुनील कुमार सुमन, तत्कालीन सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल–1, बिहारशरीफ सम्प्रति निलंबित को सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल–1, बिहारशरीफ के पदस्थापन काल के दौरान बरती गयी अनियिमतताओं के लिए अधिसूचना संख्या 13213 (एस) दिनांक 01.12.11–सह–शुद्धि पत्र अधिसूचना संख्या 14231 (एस) दिनांक 27.12.11 द्वारा निलंबित किया गया तथा संकल्प ज्ञापांक–14212 (एस) दिनांक 27.12.11 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. श्री सुमन ने अपने अभ्यावेदन दिनांक 17.12.12 द्वारा निलंबन के एक वर्ष हो जाने के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10 के अनुसार प्राप्त हो रहे जीवन निर्वाह भत्ता की राशि 50 प्रतिशत बढ़ोतरी का अनुरोध किया।

3. श्री सुमन द्वारा समर्पित अभ्यावेदन पर विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10 (1) में निहित प्रावधान के आलोक में दिनांक 01.12.2012 से 75 प्रतिशत जीवन निर्वाह भत्ता के भुगतान का निर्णय लिया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०)–अस्पष्ट, उप–सचिव (निगरानी)।

---

2 मई 2013

सं० निग/सारा–9 (आरोप)–75/2011–3463 (एस)—श्री सुनील कुमार सुमन, तत्कालीन सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल–1, बिहारशरीफ सम्प्रति निलंबित के सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल–1, बिहारशरीफ के पदस्थापन काल के दौरान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 29.11.2011 को राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल–1, बिहारशरीफ अंतर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–30 ए का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि फतुहाँ–दनियावाँ सेक्शन में 0

से 11 किलोमीटर में पथ की स्थिति अच्छी नहीं थी, जबकि उक्त पथ Defect liability period में होने तथा मुख्यालय से लगातार निदेश दिये जाने के बावजूद Defect liability period के शर्त्त का अनुपालन नहीं कराया गया था, किलोमीटर 13 (नबीचक) एवं किलोमीटर 14 (फरीदपुर) के पास 2.1 किलोमीटर के स्ट्रेच में पथ की स्थिति भयावह पायी गयी, इसके अतिरिक्त इस पथ में अवस्थित नव निर्मित पुलों के पहुँच पथ का निर्माण कार्य भी काफी धीमा पाया गया। निरीक्षण क्रम में पाये गये उक्त अनियमितताओं के लिए श्री सुमन को अधिसूचना संख्या 13213 (एस) दिनांक 01.12.11–सह–शुद्धि पत्र अधिसूचना संख्या 14231 (एस) दिनांक 27.12.11 द्वारा निलंबित किया गया तथा संकल्प ज्ञापांक 14212 (एस), दिनांक 27.12.11 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में गठित आरोप को 3 अंशों में विभक्त करते हुए आरोप अंश जो नव निर्मित पुलों के पहँच पथ का निर्माण कार्य अत्यंत धीमा होने से संबंधित था को आंशिक रूप से प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत उक्त आंशिक प्रमाणित आरोप के लिए संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक 8984 (एस) दिनांक 14.08.12 द्वारा श्री सुमन से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

3. श्री सुमन के पत्रांक–शून्य दिनांक 27.08.12 द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में उनके द्वारा सारतः निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया :–

(i) एफ0डी0आर0 मद अन्तर्गत उपलब्ध कराए गए आवंटन के आधार पर कार्य को कराने के लिए चार समूहों में प्रमंडल द्वारा अल्पकालीन निविदा निर्गत की गयी थी। दिनांक 23.11.11 को निर्गत औपबंधिक कार्यादेश के विरूद्ध सभी समूहों के संबंधित संवेदकों द्वारा जोर सोर से कार्य प्रारंभ किया गया तथा कार्य समाप्ति की अवधि पच्चीस दिन थी।

(ii) संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने विश्लेषण में कार्य के प्रगति के संदर्भ में इस बिन्दु पर विचार नहीं किया जा सका कि किसी कार्य संपादन में प्रथम चरण में कार्य की प्रगति अन्य चरणों की अपेक्षा कम होती है। कार्य में वास्तविक गति प्रारंभिक चरण में पूर्ण व्यवस्था हो जाने के उपरांत आगामी चरणों में हो पाती है।

(iii) कार्य को 25 दिनों के अंदर समाप्त करने के लिए चार खण्डों में चरणवद्ध योजना तैयार की गयी थी और तदनुसार दिनांक 17.12.11 तक कार्य ससमय पूरा किया जा सका। दिनांक 29.11.11 तक 75 प्रतिशत non- bituminous कार्य तथा 10 प्रतिशत bituminous कार्य करा लिया गया था।

4. श्री सुमन द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरांत पाया गया कि सचिव द्वारा निरीक्षण की तिथि 29.11.11 के पश्चात 30.11.11 तक किये गये कार्य और उसके विरूद्ध ली गयी मापी में एकरारनामा के अनुसार विभिन्न मदों में निर्धारित मात्रा के विरूद्ध कि0मी0 22 एवं 23 में अवस्थित पुलों के पहुँच पथ में ही डब्लू0एम0एम0 कार्य पूर्ण किया गया था जबकि कि0मी0 3, 5 एवं 8 एवं कि0मी0 9 में डब्लू0एम0एम0 का भी कार्य पूर्ण नहीं किया गया। कि0मी0 3 एवं 5 तथा 8 में Prime coat, BUSG, Tack coat में मात्र किन्चित काम पाया गया। शेष कि0मी0 9, 22 एवं 23 में इन मदों में कोई भी काम किया हुआ नहीं पाया गया। इसके अतिरिक्त किसी भी पुल के पहुँच पथ में बी0एम0 तथा एस0डी0बी0सी0 का कार्य नहीं कराया गया था। यद्यपि कार्य 17.12.11 तक पूर्ण कर लिया गया, परन्तु इनके निलंबन के उपरांत कार्य में प्रगति हुई, तदनुसार कार्य पूर्ण हुआ। इस प्रकार श्री सुमन का द्वितीय कारण पृच्छा मान्य नहीं पाते हुए कार्य की धीमी प्रगति के लिए इन्हें जिम्मेवार पाया गया। अतएव सम्यक रूप से विचारोपरांत सरकार के निर्णय के आलोक में श्री सुनील कुमार सुमन, सहायक अभियंता सम्प्रति निलंबित को निलंबन से मुक्त करते हुए निम्न दंड संसूचित किया जाता है :–

(i) इनकी एक वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

5. इनके निलंबन अवधि का विनियमन बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 11 में निहित प्रावधान के तहत किया जायेगा।

6. निलंबन से मुक्त होने के उपरांत श्री सुमन अपना योगदान मुख्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना में समर्पित करेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०)–अस्पष्ट, उप–सचिव (निगरानी)।

---

7 मई 2013

सं० निग/सारा–06–02/2006–3582 (एस)—श्री गणेश प्रसाद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल शेखपुरा सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध कार्य प्रमंडल, शेखपुरा के पदस्थापन काल में राजस्व मद की राशि 14,18,689 के गबन/दुर्विनियोग करने जैसी अनियमिता के आरोप के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–7016 (एस) अनु0 दिनांक 06.07.06 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) के तहत संचालित की गयी विभागीय कार्यवाही में अधिसूचना संख्या 9775 (एस)–सह–पठित ज्ञापांक 9776 (एस) दिनांक 02.07.10 द्वारा निम्न दंड संसूचित किया गया था :–

(i) उनके पेंशन को शून्य पर निर्धारित किया जाता है।

2. उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0सं0 3466/2008 दायर किया गया। जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा दिनांक 17.09.10 को पारित अपने आदेश में उक्त दंडादेश को निरस्त कर दिया गया।

3. सी0डब्लू0जे0सी0सं0 3466/2008 में पारित न्यायादेश दिनांक 17.09.10 के विरूद्ध एल0पी0ए0सं0 1434/2011 दायर किया गया जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29.09.11 को खारिज किये जाने के उपरांत उक्त न्यायादेश के विरूद्ध माननीय उच्चत्तम न्यायालय में एस0एल0पी0सं0 12985/2013 दायर किया गया जिसे भी दिनांक 12.10.12 को माननीय उच्चत्तम न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। तदोपरांत विधि विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में माननीय उच्चत्तम न्यायालय के उक्त न्यायादेश के विरूद्ध review petition (civil) No.-...../13 दायर किया गया है जिसका डायरी संख्या–14030/2013 है।

4. उपर्युक्त अंकित तथ्यों तथा सी0डब्लू0जे0सी0सं0 3466/2008 में पारित आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने के आलोक में श्री सिंह द्वारा दायर अवमाननावाद संख्या–1631/2012 को दृष्टिगत रखते हुए सी0डब्लू0जे0सी0सं0 3466/2008 में दिनांक 17.09.10 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में श्री गणेश प्रसाद सिंह, कार्यपालक अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध संसूचित दंड अधिसूचना संख्या–9775 (एस) दिनांक 02.07.10 को इस शर्त्त के साथ निरस्त किया जाता है कि यह माननीय उच्चत्तम न्यायालय में दायर review petition (civil) No.-...../13 से प्रभावित होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०)–अस्पष्ट, उप सचिव (निगरानी)।

---

8 मई 2013

सं० निग/सारा–5 (ग्रा0)–2025/2002–3657 (एस)—श्री राम प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर–सह–लखीसराय के विरूद्ध कार्य प्रमंडल, मुंगेर–सह–लखीसराय के पदस्थापन काल में बरती गयी अनियमिता के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1785 (एस) अनु0 दिनांक 13.02.07 द्वारा संचालित की गयी विभागीय कार्यवाही में अधिसूचना संख्या–4640 (एस)–सह–पठित ज्ञापांक–4641 (एस) दिनांक 13.05.09 द्वारा निम्न दंड संसूचित किया गया था :–

(i) इनकी दो वार्षिक वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकी जाती है।

(ii) आरोप वर्ष–1997–98 के लिए निन्दन की सजा दी जाती है।

2. उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री प्रसाद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0सं0 9542/2009 दायर किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा दिनांक 09.09.11 को पारित आदेश में उक्त दंडादेश को निरस्त कर दिया गया।

3. सी0डब्लू0जे0सी0सं0 9542/2009 में पारित न्यायादेश दिनांक 09.09.11 के विरूद्ध एल0पी0ए0सं0 1296/2012 दायर किया गया जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.01.13 को खारिज कर दिया गया। तदोपरांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस0एल0पी0 दायर करने के संबंध में विधि विभाग, बिहार, पटना से परामर्श प्राप्त किया गया। विधि विभाग, बिहार, पटना द्वारा परामर्श दिया गया कि एस0एल0पी0 दायर करने का कोई ठोस आधार प्रतीत नहीं होता है।

4. उपर्युक्त अंकित तथ्यों तथा सी0डब्लू0जे0सी0सं0 9542/2009 में पारित आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने के आलोक में श्री प्रसाद द्वारा दायर अवमाननावाद संख्या 491/2012 को दृष्टिगत रखते हुए सी0डब्लू0जे0सी0सं0 9542/2009 में दिनांक 09.09.11 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में श्री राम प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर–सह–लखीसराय सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध संसूचित दंड अधिसूचना संख्या 4640 (एस) दिनांक 13.05.09 को इस शर्त्त के साथ निरस्त किया जाता है कि इस प्रकरण में सूर्यगढ़ा थाना में दर्ज कांड संख्या 85/98 में होने वाले फलाफल से यह प्रभावित होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०)–अस्पष्ट, उप–सचिव (निगरानी)।

---

10 मई 2013

सं. अधि.सं.-निग/सारा-2 (पथ)-56/2003 (अंश-आ)-3746 (एस) —श्री नलिन विलोचन, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या-1, जहानाबाद सम्प्रति सहायक अभियंता, मुख्यालय निरूपण अंचल, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को पथ प्रमंडल संख्या-1, जहानाबाद के पदस्थापन काल में बरती गयी अनियमितताओं के लिए अधिसूचना संख्या-3370 (एस) दिनांक 28-05-2001 द्वारा निलंबित किया गया तथा श्री विलोचन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर समादेश याचिका संख्या 4045/2002 में दिनांक 22-03-02 को पारित आदेश के आलोक में अधिसूचना संख्या-8989 (एस)

दिनांक 26-11-02 द्वारा दिनांक 22-07-02 के प्रभाव निलंबन से मुक्त किया गया। श्री विलोचन के विरूद्ध संकल्प ज्ञापांक-3625 (एस) दिनांक 23-05-2002 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी जिसमें प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए अधिसूचना संख्या 5041 (एस) दिनांक 29-04-11 द्वारा दंड संसूचित किया गया था ।

2. श्री विलोचन से निलंबन अवधि दिनांक 28-05-01 से दिनांक 21-07-02 तक में देय जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होने के संबंध में विभागीय पत्रांक-6651 (एस) दिनांक 09-06-11 द्वारा कारण पृच्छा की गयी।

3. श्री विलोचन के पत्रांक-शून्य दिनांक 21-06-2011द्वारा समर्पित कारण पृच्छा में दंड के विरूद्ध दिनांक 03-06-11 को समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी की छाया प्रति संलग्न करते हुए कारण पृच्छा के संबंध में इसे प्रासंगिक बताया गया है। श्री विलोचन के उक्त पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में सारत उनके द्वारा उल्लेख किया है कि 6,01,800 रूपये का प्रथम चालू विपत्र जिसका भुगतान हुआ उसपर उनके द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया जबकि द्वितीय एवं तृतीय चालू विपत्र जिसपर असमाजिक तत्वों द्वारा जबरदस्ती हस्ताक्षर करा लिया गया था, का भुगतान रोकने हेतु जिला पदाधिकारी, जहानाबाद से उनके द्वारा अनुरोध किया गया था, जिसके आलोक में जिला पदाधिकारी द्वारा उक्त विपत्रों की राशि के भुगतान पर रोक लगायी गयी थी। जहानाबाद-एकंगरसराय पथ में पी.सी.सी. कार्य को आध अधूरा छोड़कर 1,82,593 रूपये के भुगतान के आरोप के संदर्भ में जॉच के समय उक्त कार्य का अधूरा होने तथा कुल 2,43,758 रूपये के कराये गये कार्य के विरूद्ध मात्र 1,82,593 रूपये का भुगतान किये जाने के आलोक में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं बरतने का उल्लेख किया गया।

3. श्री विलोचन द्वारा समर्पित कारण पृच्छा में अंकित तथ्यों के समीक्षोपरांत पाया गया कि उनके द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया है जो उन्होंने द्वितीय कारण पृच्छा बचाव वयान में दिया था जिसकी समीक्षा में पाया गया था कि जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत जिन पत्रों को उन्होंने अपने साक्ष्य के रूप में सलग्न किया था उसमें उस बात का उल्लेख नहीं था कि उनके द्वारा बनाये गये विपत्र पर असमाजिक तत्वों द्वारा जबरन हस्ताक्षर करा लिया गया था। यदि इस अनियमितता में उनकी सहभागिता नहीं थी तो सहायक अभियंता होने के नाते उन्हें संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए थी जो उनके द्वारा नहीं किया गया। इस प्रकार श्री विलोचन समर्पित कारण पृच्छा को मान्य नहीं पाते हुए सम्यक रूप से विचारोपरांत सरकार द्वारा निम्न निर्णय लिया जाता है :-

(क) इनकी निलंबन अवधि दिनांक-28-05-01 से 21-07-02 तक के लिए मात्र जीवन निर्वाह भत्ता ही देय होगा, लेकिन उक्त अवधि अन्य प्रयोजनार्थ कर्तव्य अवधि मानी जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

(ह0)-अस्पष्ट, उप-सचिव (निगरानी)।

13 मई 2013

सं० निग/सारा–2 (पथ)– 120/03–3790 (एस)—श्री शिव कुमार प्रसाद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी सम्प्रति दिनांक 29.02.2008 को सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता द्वारा कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी के पदस्थापन काल में पथों की जाँच के अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने एवं असहयोगात्मक रवैया अपनाने के कारण मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग के पत्रांक–892 त० प० को० दिनांक 08.10.1976 में जाँच कार्य में सहयोग हेतु दिये गये निदेशों के उल्लंघन एवं उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना के साथ–साथ बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमवली 1976 के नियम 3 (3) के उल्लंघन करने के आरोप के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या–5565 (एस) दिनांक 21.08.2000 द्वारा इन्हें निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–7089 (एस) अनु०, दिनांक 12.06.2007 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही विभागीय जाँच आयुक्त के अधीन संचालित की गई।

2. इसी बीच सी०डब्लू०जे०सी० सं०–920/2001 में दिनांक 05.09.2001 को पारित आदेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–8839 (एस) दिनांक 28.12.2001 द्वारा इनके निलंबन संबंधी अधिसूचना संख्या–5565 (एस), दिनांक 21.08.2000 को निरस्त किया गया।

3. श्री सिंह के दिनांक 29.02.2008 को सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को विभागीय संकल्प ज्ञापांक–10761 (एस), दिनांक12.08.2008 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी) के तहत सम्परिवर्तित किया गया।

4. विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–613, दिनांक 19.07.2012 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोप को प्रमाणित नहीं पाया गया। तद्आलोक में जाँच प्रतिवेदन पर ग्रामीण कार्य विभाग से मंतव्य की अपेक्षा की गई। ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा विभागीय जाँच आयुक्त के प्रतिवेदन से सहमति व्यक्त की गई।

5. अतएव सरकार के निर्णयानुसार श्री शिव कुमार प्रसाद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी सम्प्रति सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता को आरोप मुक्त किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०)–अस्पष्ट, उप–सचिव (निगरानी)।

---

14 मई 2013

सं० निग/सारा– (रा०उ०प०उ०वि०)नि०वि०–05/12–3856 (एस)—श्री राधे बैठा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, मोतिहारी सम्प्रति दिनांक 11.10.2012 को मृत द्वारा श्रीमती सुमन देवी, सुमन भवन, विलियम्स टाउन, गिन्नी हाउस बी०, पोस्ट+थाना–देवघर, जिला–देवघर को राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, मोतिहारी के पदस्थापन काल में बरती गई अनियमितता के जाँचोपरान्त निगरानी विभाग, बिहार, पटना द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में सिंधिया गुमटी के पहुँच पथ के निर्माण कार्य में दिनांक 01.04.2000 के पूर्व ही श्री चमक लाल मंडल, प्रभारी कनीय अभियंता के बदले श्री राम सिंहासन सिंह, कनीय अभियंता (जिन्हें दिनांक 01.04.2000 से प्रभार ग्रहण करना था) से मापी एवं विपत्र अंकन पश्चात भुगतान करने के लिए उत्तरदायी माने जाने के आलोक में विभागीय समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री राधे बैठा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता सम्प्रति मृत के दिनांक 30.06.2008 को सेवानिवृत्त हो जाने एवं आरोप का वर्ष 2000–01 होने के आलोक में आरोप काल बाधित हो गया था। साथ ही श्री बैठा की मृत्यु दिनांक 11.10.2012 को हो चुकी है। अतः इनके विरूद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

2. अतएव सरकार के निर्णयानुसार स्वर्गीय राधे बैठा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, मोतिहारी के लिए इस प्रकरण को संचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०)–अस्पष्ट, उप–सचिव (निगरानी)।

---

14 मई 2013

सं० निग/सारा–(रा०उ०प०उ०वि०)नि०वि०–05/12–3858 (एस)—श्री राजेन्द्र प्रसाद राजन, तत्कालीन सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, मोतिहारी सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या–1, औरंगाबाद के विरूद्ध राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, मोतिहारी के पदस्थापन काल में बरती गई अनियमितता के जाँचोपरान्त निगरानी विभाग, बिहार, पटना द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में सिंधिया गुमटी के पहुँच पथ के निर्माण कार्य में दिनांक 01.04.2000 के पूर्व ही श्री चमक लाल मंडल, प्रभारी कनीय अभियंता के बदले श्री राम सिंहासन सिंह, कनीय अभियंता (जिन्हें दिनांक 01.04.2000 से प्रभार ग्रहण करना था) से मापी एवं विपत्र अंकन पश्चात भुगतान करने के आरोप के लिए आरोप प्रपत्र 'क' का गठन कर विभागीय पत्रांक–9002 (एस) अनु० दिनांक 14.08.12 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई।

2. श्री राजन, तत्कालीन सहायक अभियंता सम्प्रति कार्यपालक अभियंता के पत्रांक–शून्य दिनांक 26.09.2012 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं इस क्रम में समर्पित आवेदन दिनांक 22.01.2013 के समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री राम सिंहासन सिंह, कनीय अभियंता को तत्कालीन कार्यपालक अभियंता सम्प्रति स्वर्गीय राधे बैठा के पत्रांक–67 A दिनांक 28.03.2000 द्वारा उक्त कार्य का विपत्र तैयार कर समर्पित करने का निदेश दिया गया था, जिसका निर्वहन इनके द्वारा किया गया। यह भी पाया गया कि मापी अथवा विपत्र अंकन से सरकार को कोई वित्तीय क्षति नहीं हुई।

3. अतएव सरकार के निर्णयानुसार श्री राजेन्द्र प्रसाद राजन, तत्कालीन सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, मोतिहारी सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या–1, औरंगाबाद को आरोपमुक्त किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०)–अस्पष्ट, उप–सचिव (निगरानी)।

30 मई 2013

सं० पत्र संख्या–1/स्था0–53/05–4323 (एस)—श्री रघुनाथ प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, मुजफ्फरपुर क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, मुजफ्फरपुर सम्प्रति अधीक्षण अभियंता के तकनीकी सलाहकार पथ अंचल, दरभंगा द्वारा मुजफ्फरपुर क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के पदस्थापन काल में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति तथा इस संबंध में स्पष्टीकरण का उत्तर समर्पित नहीं करने के आरोप के लिए नगर विकास विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–10735 (एस) सहपठित ज्ञापांक–10736 (एस) दिनांक 06.08.08 द्वारा इन्हें तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया गया।

2. श्री प्रसाद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर याचिका संख्या–1030/2009 में दिनांक 09.02.09 को पारित आदेश/निदेश के अनुपालन में विभागीय अधिसूचना संख्या–6441 (एस) सहपठित ज्ञापांक–6442 (एस) दिनांक 16.06.09 द्वारा दिनांक 01.04.09 के प्रभाव से इनके निलंबन आदेश को वापस लिया गया। पुनः श्री प्रसाद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या–2313/2012 में दिनांक 05.03.12 एवं दिनांक 21.03.12 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में विभागीय आदेश ज्ञापांक–11325 (एस) दिनांक 17.10.12 द्वारा निम्न निर्णय लिया गया :–

(i) श्री रघुनाथ प्रसाद के निलंबन तिथि 06.08.08 से 7 माह के उपरांत दिनांक 05.03.09 से दिनांक 31.03.09 तक पूर्ण वेतन (जीवन निर्वाह भत्ता के समायोजन के उपरांत अवशेष राशि) भुगतान की स्वीकृति दी जाती है।

(ii) दिनांक 06.08.08 से दिनांक 04.03.09 तक की निलंबन अवधि के संबंध में इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

3. श्री प्रसाद द्वारा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, उक्त अवधि को विनियमित करवाने हेतु तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, पूर्णियाँ से गलत ढंग से अनुशंसा करवाने तथा अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि के संबंध में विभाग को दिग्भ्रमित करने जैसे आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक–1477 (एस) दिनांक 29.04.09 द्वारा इनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री प्रसाद, कार्यपालक अभियंता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण दिनांक 11.05.09 के समीक्षोपरांत इसे असंतोषप्रद पाते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–11229 (एस) अनु0 दिनांक 08.10.09 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

4. श्री प्रसाद के विरूद्ध मुजफ्फरपुर क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के ही पदस्थापन काल में पटना से प्रतिदिन मुजफ्फरपुर आने–जाने जिससे योजनाओं एवं अन्य कार्यों का अनुश्रवण प्रभावित होने, अनाधिकृत अनुपस्थिति में जाते समय आलमीरा एवं कार्यालय की चाभी प्रधान लिपिक को सौंपने जबकि वरीय पदाधिकारी को इसकी सूचना देना अनिवार्य था और इस प्रकार अनुशासन भंग करने तथा कर्त्तव्य पर वापस नहीं लौटने जैसे आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक–6913 (एस) अनु0 दिनांक 25.06.09 द्वारा इनसे कारण पृच्छा की मांग की गयी। श्री प्रसाद द्वारा विलंब से दिनांक 12.04.10 के आवेदन द्वारा बचाव वयान समर्पित किया गया। इस बचाव वयान के समीक्षोपरांत इसे असंतोषप्रद पाते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1870 (एस) अनु0 दिनांक 18.02.11 द्वारा अनुपूरक आरोप पत्र को पूर्व संचालित विभागीय कार्यवाही में सन्निहित किया गया।

5. विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी (अपर विभागीय जाँच आयुक्त) के पत्रांक–595 दिनांक 07.12.11 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में अनुपूरक आरोप संख्या–1 को आंशिक रूप से प्रमाणित तथा शेष सभी 5 आरोपों को प्रमाणित पाया गया। तद्आलोक में प्रमाणित/अंशतः प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक–13684 (एस) अनु0 दिनांक 15.12.11 द्वारा श्री प्रसाद से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी तथा पत्रांक–1037 (एस) दिनांक 25.01.12, पत्रांक–3541 (एस) अनु0 दिनांक 28.03.12 एवं पत्रांक–6684 (एस) दिनांक 13.06.12 द्वारा स्मारित किया गया।

6. श्री प्रसाद द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर समर्पित नहीं कर लगभग 1 वर्ष तक अनावश्यक बातों का उल्लेख कर समय की मांग की जाती रही। अन्ततः प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए सरकार द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध कार्यपालक अभियंता के न्यूनतम प्रक्रम में अवनति एवं पूरे सेवाकाल में अकार्य पद पर पदस्थापन का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। तदआलोक में विभागीय पत्रांक–719 (एस) अनु0 दिनांक 29.01.13 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से कार्यपालक अभियंता के न्यूनतम प्रक्रम में अवनति के अनुमोदित वृहद दंड प्रस्ताव पर सहमति/परामर्श की अपेक्षा की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–321 दिनांक 14.05.13 द्वारा उक्त दंड प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है।

7. अतएव सरकार के निर्णयानुसार श्री रघुनाथ प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, मुजफ्फरपुर क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, मुजफ्फरपुर सम्प्रति अधीक्षण अभियंता के तकनीकी सलाहकार पथ अंचल, दरभंगा को कार्यपालक अभियंता के न्यूनतम प्रक्रम में अवनत किया जाता है।

8. इसके अतिरिक्त श्री प्रसाद को शेष बचे पूरे सेवाकाल में अकार्य पद पर पदस्थापन का निर्णय लिया जाता है।

9. श्री प्रसाद के निलंबन की अवधि दिनांक 06.08.08 से दिनांक 04.03.09 तक के विनियमन के संबंध में नियमानुसार इनसे अलग से कारण पृच्छा कर निर्णय लिया जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०)–अस्पष्ट, उप–सचिव (निगरानी)।

---

4 जून 2013

सं० निग/सारा–6 (था0का0)–104/2010–4392 (एस)—निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज निगरानी थाना कांड संख्या–54/10 में श्री शैलेश मिश्र, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पटना नगर निगम सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, गोपालगंज को प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया। नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक–5433 दिनांक 14.09.10 से प्राप्त निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक–3056 (एस) दिनांक 16.04.13 द्वारा श्री मिश्र से कारण पृच्छा की गयी। श्री मिश्र से प्राप्त कारण पृच्छा पर नगर विकास एवं आवास विभाग से प्राप्त मंतव्य के आलोक में श्री शैलेश मिश्र, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, गोपालगंज को कार्यपालक अभियंता, पटना नगर निगम के पदस्थापन काल में बरती गयी अनियमितताओं के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (1) (क) एवं (ग) के तहत तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि के दौरान बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10 के अध्याधीन शर्तों के तहत इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

3.निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय अभियंता प्रमुख का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया जाता है।

4. इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु अलग से आरोप पत्र निर्गत किया जा रहा है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०)–अस्पष्ट, उप–सचिव (निगरानी)।

---

4 जून 2013

सं० निग/सारा–6 (था0का0)–104/2010–4394 (एस)—निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज निगरानी थाना कांड संख्या–54/10 में श्री अरविन्द प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पटना नगर निगम सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मधुबनी को प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया। नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक–5433 दिनांक 14.09.10 से प्राप्त निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक–3327 (एस) दिनांक 26.04.13 द्वारा श्री प्रसाद से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री प्रसाद से प्राप्त स्पष्टीकरण पर नगर विकास एवं आवास विभाग से प्राप्त मंतव्य के आलोक में श्री अरविन्द प्रसाद, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मधुबनी को कार्यपालक अभियंता, पटना नगर निगम के पदस्थापन काल में बरती गयी अनियमितताओं के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (1) (क) एवं (ग) के तहत तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि के दौरान बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10 के अध्याधीन शर्तों के तहत इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय अभियंता प्रमुख का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया जाता है।

4. इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु अलग से आरोप पत्र निर्गत किया जा रहा है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०)–अस्पष्ट, उप–सचिव (निगरानी)।

---

4 जून 2013

सं० निग/सारा–6 (था0का0)–104/2010–4396 (एस)—निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज निगरानी थाना कांड संख्या–54/10 में श्री अनिल कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता, पटना नगर निगम सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, लखीसराय को प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया। नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक–5433 दिनांक 14.09.10 से प्राप्त निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक–3057 (एस) दिनांक 16.04.13 द्वारा श्री सिन्हा से कारण पृच्छा की गयी। श्री सिन्हा से प्राप्त कारण पृच्छा पर नगर विकास एवं आवास विभाग से प्राप्त मंतव्य के आलोक में श्री अनिल कुमार सिन्हा, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, लखीसराय को सहायक अभियंता, पटना नगर निगम के पदस्थापन काल में बरती गयी अनियमितताओं के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (1) (क) एवं (ग) के तहत तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि के दौरान बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10 के अध्याधीन शर्तों के तहत इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय अभियंता प्रमुख का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया जाता है।

4. इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु अलग से आरोप पत्र निर्गत किया जा रहा है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०)–अस्पष्ट, उप–सचिव (निगरानी)।

---

4 जून 2013

सं0 निग/सारा–6–06/2003–4464 (एस)—श्री लक्ष्मी नारायण पासवान, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, भागलपुर सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल आरा के विरूद्ध पथ प्रमंडल भागलपुर के पदस्थापन काल में बरती गयी अनियमितता के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–5940 (एस) दिनांक 17.07.03 द्वारा संचालित की गई विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित पाए गये आरोप के लिए अधिसूचना संख्या–3050 (एस) दिनांक 20.03.06 द्वारा निम्न दंड संसूचित किया गया था–

(क) दो वार्षिक वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकी जाती है।

(ख) आरोप वर्ष 2001–02 में निन्दन की सजा दी जाती है, जिसकी प्रविष्टि वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति में की जाएगी।

2. श्री पासवान, द्वारा उक्त संसूचित दंड के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में सी0डब्लू0जे0सी0सं0 9356/2006 दायर किया गया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 03.08.12 को पारित आदेश में अधिसूचना संख्या–3050 (एस) दिनांक 20.03.06 द्वारा संसूचित दंड को निरस्त करते हुए सभी परिणामी लाभ देने का निदेश दिया गया।

3. सी0डब्लू0जे0सी0सं0 9356/2006 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर विचारोपरांत एवं विधि विभाग से प्राप्त मंतव्य के आलोक में अधिसूचना संख्या–3050 (एस) दिनांक 20.03.06 द्वारा श्री लक्ष्मी नारायण पासवान को संसूचित दंड को निरस्त करते हुए सभी परिणामी लाभ के भुगतान का सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०)–अस्पष्ट, उप–सचिव (निगरानी)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 15—571+200-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in